रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 1993/आषाढ़ 17, 1915
No. 231] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 1993/ASADHA 17, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 499 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम, 5 के उपनियम (4) में "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. संख्या 663 (अ) तारीख 17-12-1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें सा. का. नि. संख्या 8(अ) तारीख 2-1-87, सा.का.नि.सं. 948 (अ) तारीख 2-12-87, सा.का.नि. 5(अ) तारीख 5-1-89, सा. का. नि. 430 (अ) तारीख 6-4-89, सा. का. नि. सं. 695 (अ) तारीख 17-7-89, सा. का. नि. 813(अ) तारीख 4-9-89, और सा. का. नि. 1001 (अ) तारीख 8-11-89 द्वारा संशोधित किया गया ।

[सं 2/5/93-एन एस-II]
ओम पाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1993

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 1993.

2. In sub-rule (4) of rule 5 of the Post Office Savings Account Rules, 1981, for the words "one hundred rupees" the words "two hundred and fifty rupees" shall be substituted.

NOTE : The Principal rules were published vide GSR 663(E) dated 17-12-1981 and amended vide GSR 8(E) dated 2-1-1987, GSR 948(E) dated 2-12-1987, GSR 5(E) dated 5-1-1989, GSR 430(E) dated 6-4-1989, GSR 695(E) dated 17-7-1989, GSR 813(E) dated 4-9-1989, and GSR 1001(E) dated 8-11-1989.

[No. 2|5|93-NS-II]
OM PAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993